

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 03/2019 एफ एस एस एक्ट

- सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री रामावतार गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता एफबीओ मैसर्स:—रवि प्रोविजन स्टोर, गांधी तिराहा, बस स्टैण्ड, दौसा ।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

:अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:— 27.03.2019


संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.07.2018 को दोपहर 01:30 बजे मैसर्स:—रवि प्रोविजन स्टोर, गांधी तिराहा, बस स्टैण्ड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रामावतार गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 5 कार्टून में 825 एमएल मूल पैकिंग में पैक Blended Edible Vegetable oil (Health Star Agmark) (5 कार्टून X 12 मूल बोतल X 825 एमएल) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इनमें से 4 मूल बोतल X 825 एमएल Blended Edible Vegetable oil (Health Star Agmark) नमूने की जांच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 320 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा मूल पैक बोतल Blended Edible Vegetable oil (Health Star Agmark) पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर A.G.—1943 गौद से




न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र0 सं0 : 03/2019 एफ एस एस एक्ट

चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 16.07.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.07.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.07.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ Blended Edible Vegetable oil (Health Star Agmark) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1141/एक्ट/2018/1240 दिनांक 31.07.2018 डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Blended Edible Vegetable oil (Health Star Agmark) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त बहस हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Blended Edible Vegetable oil (Health Star Agmark) के लेबल पर "Best before:- WITH IN SIXTH MONTH FROM THE DATE OF PACKING" के स्थान पर "BEST BEFORE SIX MONTHS FROM PACKAGING" प्रिन्ट होना चाहिये था। इस कारण उक्त खाद्य पदार्थ Blended Edible Vegetable oil (Health Star Agmark) मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार निवेदन किया गया है कि निर्माता द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। पूर्व में हमारी दुकान से लिये गये सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये हैं। उक्त खाद्य पदार्थ का बिल खो जाने के कारण प्रकरण में बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सकना व्यक्त करते हुए प्रथम बार हुई गलती के लिये कम से कम शास्ति लगाने का निवेदन किया गया है।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र० सं० : 03/2019 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1141/एक्ट/2018/1240 दिनांक 31.07.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Blended Edible Vegetable oil (Health Star Agmark)** मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ **Blended Edible Vegetable oil (Health Star Agmark)** मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री रामावतार गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता एफबीओ मैसर्स:-रवि प्रोविजन स्टोर, गांधी तिराहा, बस स्टैण्ड, दौसा पर 7000/- (अक्षरें सात हजार रुपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.03.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



क्रमांक / 733-35

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रामावतार गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता एफबीओ मैसर्स:-रवि प्रोविजन स्टोर, गांधी तिराहा, बस स्टैण्ड, दौसा

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
दिनांक:- 27.03.2019



(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
दिनांक:- 27.03.2019